

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक- 21.5.18

संख्या-12/प्रो0-1202/2013, सा0प्र06590...../वित्त विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-4685 दिनांक- 27.06.03 एवं 6068 दिनांक-13.06.13 के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने स्तम्भ-3 में अंकित तिथि से अपुनरीक्षित वेतनमान- ₹ 10,000-15,200/- षष्ठम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप पुनरीक्षित पे-बैंड- ₹15,600-39,100/- ग्रेड पे0- ₹ 6,600/- में प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/कोटि क्रमांक	प्रथम वित्तीय उन्नयन की देय तिथि
1	2	3
1	श्री श्याम किशोर प्रसाद, 142/11	09.08.1999
2	श्री अशोक कुमार पाल, 296/11	22.12.2009
3	श्रीमती कुमारी पुनीता श्रीवास्तव, 326/11	09.08.1999
4	श्री मो0 मंजूर अली, 357/11	21.12.2009
5	श्रीमती प्रभावती तिकी, 361/11	09.08.1999
6	श्री हरिहर प्रसाद, 748/04	01.08.2003
7	श्री खुर्शीद आलम खाँ, 390/11	22.12.2009
8	श्री शत्रुघ्न कामती, 548/11	29.06.2002
9	श्री मो0 बेलागुद्दीन, 569/11	23.05.2004
10	श्री राजकुमार झा, 599/11	15.06.2004
11	श्री बिनोद कुमार, 615/11	12.06.2004
12	मो0 अनवर हुसैन, 626/11	01.04.2007
13	श्री शत्रुंजय कुमार मिश्रा, 673/11	01.03.2005
14	श्री अजय कुमार ठाकुर, 684/11	04.03.2005
15	श्री शब्बीर हसन, 686/11	22.12.2009
16	श्री सुरेश, 700/11	01.04.2008

17	श्री कृष्ण मोहन प्रसाद, 726 / 11	08.06.2007
18	श्री संजय कुमार, 734 / 11	05.06.2008
19	श्री अमित कुमार, 870 / 11	01.06.2010
20	श्री दिनेश कुमार, 885 / 11	09.01.2008
21	श्री विवेक कुमार, 898 / 11	16.01.2008
22	श्री अंजनी कुमार, 925 / 11	26.08.2009
23	श्री शाहिद परवेज, 927 / 11	12.08.2009
24	श्री अजय कुमार, 931 / 11	26.08.2009
25	डॉ० फतेह फैयाज, 932 / 11	26.08.2009
26	श्री अनिल कुमार, 940 / 11	26.08.2009

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों को वेतन नियतीकरण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली के नियम-8 (1) के अनुसार किया जायेगा।

3. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त ए०सी०पी० योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली कर ली जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राम विशुन राय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक -12/प्र०-1202/2013, सा०प्र० 6590 /पटना-15, दिनांक-21-5-18

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई० टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) /महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषागार/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई०टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।